



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी
I.A.S.

अनुपमा जोरवाल

प्रतापगढ़

जिला कलक्टर,

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
04/2017	2017/00025	19.06.2017	26.03.2021

1. श्री योगेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपुत निवासी नागदेडा समस्त निवासीयान नागदेडा तहसील अरनोद
2. श्री गणपत पिता गौतम चमार निवासी नागदेडा समस्त निवासीयान नागदेडा तहसील अरनोद
3. श्री रमाकान्ता पत्नि महावीर दास वैष्णव निवासी नागदेडा समस्त निवासीयान नागदेडा तहसील अरनोद
4. श्री हरिश पिता महावीरदास वैष्णव निवासी नागदेडा समस्त निवासीयान नागदेडा तहसील अरनोद

— निगरानीकार/प्रार्थीगण

—: बनाम :-

1. श्री वरदीचन्द्र पिता गंगाराम तेली निवासी नागदेडा समस्त निवासीयान नागदेडा तहसील अरनोद
2. श्रीमती राधाबाई पत्नि वरदीचन्द्र तेली निवासी नागदेडा समस्त निवासीयान नागदेडा तहसील अरनोद
3. श्री सरपंच ग्राम पंचायत बेडमा तहसील अरनोद
4. श्री सचिव ग्राम पंचायत बेडमा तहसील अरनोद
5. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अरनोद

— विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

उपस्थिति :-

श्री बाबुलाल जैन अधिवक्ता निगरानीकार
श्री अशोक कुमार राठौर अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2



—: आदेश :-

दिनांक :- 26.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत विरुद्ध विवादित पट्टा विलेख क्रमांक 20/2007 एवं 21/2007 दिनांक 06.07.2017 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण के विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा राजस्व ग्राम नागदेडा ग्राम पंचायत बेडमा की आबादी भूमि आराजी संख्या 668/1232 रकबा 0.50 है. में जरिये मिशल संख्या 13/2007 पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत विपक्षी क्रमांक श्री वरदीचन्द्र पुत्र गंगाराम तेली निवासी नागदेडा के पक्ष में आवासीय बापी पट्टा क्रमांक 20/2007 क्षेत्रफल 50 x 60 = 3000 वर्गफीट का तथा जरिये मिशल संख्या 14/2007 विपक्षी क्रमांक 02

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

295

श्रीमती राधाबाई पत्नी श्री वरदीचन्द्र तेली निवासी नागदेडा के पक्ष में आवासीय बापी पट्टा कमांक 20/2007 क्षेत्रफल 50 x 60 = 3000 वर्गफीट दिनांक 06.07.2007 जरिये ग्राम पंचायत बेडमा के संकल्प संख्या 11/2007 दिनांक 06.07.2007 को जारी किए गए।

क्योंकि पट्टा धारक (प्राप्तकती) द्वारा उक्त भूमि पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं होकर मिथ्या एवं भ्रामक आधार पर उक्त पट्टाकृत भूमि पर अपने 15.20 वर्ष पुराने मकान बताते हुए विपक्षी संख्या 3 व 4 की मिलीभगत से जारी करवा लिए तथा उक्त पट्टाकृत भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 आवासीय प्रयोजन के विपरीत अवैधानिक ईट भट्टों का संचालन किया जा रहा है जिससे आस-पास की आबादी वायु प्रदुषण ग्रसित हो रही है तथा उक्त ईट भट्टों के मलबे से उक्त आबादी भूमि के निकट स्थित बरसाती नाला अवरुद्ध होकर आस-पास की कृषि भूमियों को भी प्रभावित कर रहा है जिससे व्यथित होकर निगरानीकारगण द्वारा विविध प्रशासनिक स्तरों जिला कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी तहसीलदार तथा पुलिस थाना अरनोद में भी कई शिकायतें प्रस्तुत की गई है किन्तु समुचित कार्यवाही नहीं होने के चलते निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी विवादित आवासीय पट्टा विलेखों को खारीज फरमाया जावे तथा मौके पर संचालित अवैध ईट भट्टों को हटाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राठौर उपस्थित हो प्रस्तुत निगरानी मियाद बाधित बताते हुए जवाब निगरानी दिनांक 19.06.2019 को रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत किया इसी क्रम में अधिनस्थ विपक्षी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब निगरानी दिनांक 27.10.2017 को म्य आवंटन मिशाल संख्या 13-14/2007 को प्रस्तुत करते हुए उल्लेखित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा कमांक 20/2007 एवं 21/2007 उचित जारी किये गये है तथा ग्राम में घरनोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु प्रस्तुत हुई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार श्री बाबुलाल जैन द्वारा निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि विपक्षीगण द्वारा पंचायत को धोखे में रखते हुए पट्टाकृत भूमि पर विपक्षीगण का कोई निवास स्थान नहीं होते हुए भी विपक्षीगण द्वारा मनमाने तरीके से नियम 157(1) के तहत उक्त भूमि पर अपना 15-20 वर्षों का कब्जा बताते हुए यह पट्टे प्राप्त किए है जबकि उक्त पट्टाकृत भूमि पर आज भी विपक्षीगण का कोई स्थाई निवास नहीं होकर मौके पर ईट भट्टों का संचालन किया जा रहा है तथा उक्त ईट भट्टों से निकलने वाले अपशिष्ट को विपक्षीगण द्वारा उक्त आबादी भूमि के निकट स्थित बरसाती नाला की भूमि आराजी संख्या 669 रकबा 2.07 में डाला जा रहा है जिससे उक्त नाले का जलप्रवाह क्षेत्र बाधित हो नाले का पानी पास के अन्य खातेदार तथा निगरानीकारगण की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तथा ईट भट्टों के आबादी क्षेत्र में स्थित होने वायु प्रदुषण आबादी क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है इस संबंध में निगरानीकारगण एवं ग्रामवासियान द्वारा जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ के समक्ष भी शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2016 को प्रस्तुत किया किया था। जिसके संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय के पत्र दिनांक 28.06.2016 से विकास अधिकारी अरनोद से जांच रिपोर्ट तलब किये जाने के फलस्वरूप विकास अधिकारी अरनोद द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2017 के अनुसार मौके पर ईट भट्टों का संचालन होना नाला बाधित होना तथा आबादी क्षेत्र में वायु प्रदुषण तथा आस-पास के खेत जलमग्न होना बताया गया है।

साथ ही निगरानीकार द्वारा विपक्षी को बार-बार समझाईश के बाद भी नहीं मानने पर पुलिस थाना अरनोद मे विपक्षी के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो जरिये इस्तगासा संख्या 770 दिनांक 05.07.2017 से दर्ज रिकार्ड हो CRPC की धारा 107 - 151 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध SDM अरनोद न्यायालय में जरिये प्रकरण संख्या 183/2017 से प्रसंज्ञान लेते हुए 10000/- रुपये के जमानत मूचलके पर रिहा किया था।

इसी प्रकार विपक्षी के विरुद्ध ग्राम वासियान द्वारा उपखण्ड अधिकारी अरनोद के समक्ष भी एक रिपोर्ट बाबत आबादी भूमि पट्टों पर अवैध ईट भट्टा संचालन एवं नाला बाधित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बेडमा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 01.09.2016 में भी विपक्षीगण को आबादी हेतु पट्टाकृत भूमि पर अवैध ईट भट्टा संचालन तथा नाला

जिला कलक्टर
अरनोद (राज.)

296

बाधित करने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत निगरानी अन्तर्गत भी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत मौका कमीशनर रिपोर्ट आवेदन के क्रम में जिला कलक्टर न्यायालय से जारी पत्र दिनांक 14.07.2017 के क्रम में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2017 अन्तर्गत भी विवादित पट्टा विलेखों की भूमि पर ईट भट्टों का संचालन एवं मौके पर एक 10 x 10 = 1000 वर्गफीट की ईटों की झोंपड़ी होना बताया गया है।

साथ ही विपक्षीगण द्वारा प्राप्त पट्टा विलेखों के संबंध में पत्रावली के साथ प्रस्तुत होने वाला शपथ पत्र भी पट्टा निष्पादन दिनांक 06.07.2007 के पश्चात दिनांक 26.07.2007 को संलग्न की गई है तथा पट्टा हेतु देय शुल्क राशि भी पट्टा निष्पादन की तिथि से लगभग 01 माह पश्चात रसीद संख्या 30 एवं 39 दिनांक 01.08.2007 को जमा कराई गई है। अर्थात् विपक्षी संख्या 1 व 2 आपस में पति पत्नी होने उपरान्त भी उन्हें एक संयुक्त पट्टा देने की बजाय पृथक-पृथक 2 पट्टे जारी किए गए जो विधि विरुद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आबादी भूखण्ड पट्टा विलेख संख्या 20/2007 एवं 21/2007 दिनांक 06.07.2007 को निरस्त फरमाया जावे।

इसी प्रक्रम में दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राठौर द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेंमें में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए तथा प्रस्तुत जवाब निगरानी दिनांक 19.06.2019 तथा विपक्षी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने कब्जे आवास की भूमि आराजी संख्या 668/1232 रकबा 0.50 है, में बने कच्चे मकान के नियमन हेतु विधिवत आवेदन दिनांक 24.04.2007 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत बेडमा द्वारा जरिये मिशाल संख्या 13/2007 एवं 14/2007 से दर्ज कर आगामी कोरम दिनांक 06.06.2007 निरीक्षण कमेटी का गठन कर रिपोर्ट प्रतिवेदन हेतु आगामी कोरम में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिस पर निरीक्षण कमेटी द्वारा दिनांक 06.07.2007 को विधिवत कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत बेडमा के संकल्प संख्या 11 में लिए गए निर्णय अनुसार उक्त पट्टे जारी किए गए है तथा उक्त पट्टों का अनुमोदन भी विकास अधिकारी अरनोद द्वारा किये जाने पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पंजीयन विलेख दिनांक 29.08.2011 को विपक्षीगण के पक्ष में पट्टा पंजीयन किया गया। मौके पर विपक्षी अपने स्वयं के गृह निर्माण हेतु ईटों का मानक मात्रा में निर्माण कर घरेलु कार्य हेतु उपयोग किया था वर्तमान में मौके पर कोई ईट भट्टा संचालित नहीं है फिर भी निगरानीकार एवं अन्य ग्रामवासीयान द्वारा विपक्षीगण से राजनैतिक द्वेषता एवं ईर्ष्या रखने के चलते विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से मनगढत शिकायते प्रस्तुत की जाती रही है तथा विपक्षी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के निरस्ती की कार्यवाही का निगरानीकार को कोई अधिकार वायित्व प्राप्त नहीं है। यद्यपि निगरानीकार कोई सक्षम साक्ष्य रखते थे तो उनके द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत विकास अधिकारी के समक्ष या धारा 97 क के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थ जबकि पट्टा निष्पादन तिथि 06.07.2007 के पश्चात दिनांक 19.06.2017 को निगरानी प्रस्तुत किया धारा 97 में विहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः निगरानी निगरानीकार मियाद बिन्दु एवं मेरिट आधार दोनों पर खारीज योग्य है।

बहस उमय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज क्रमशः प्रस्तुत निगरानी मेंमें दिनांक 19.06.2017, जवाब विपक्षी संख्या 03 व 04 दिनांक 27.10.2017, जवाब विपक्षी संख्या 1 व 2 दिनांक 19.06.2019, विवादित पट्टा विलेख क्रमांक 20/2017 एवं 21/2007 दिनांक 06.07.2007, ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 06.07.2007, प्रस्तुत आवेदन विपक्षीगण दिनांक 24.04.2007 मिशाल संख्या 13 एवं 14 वर्ष 2007 में संलग्न विविध दस्तावेजों, शपथ पत्र प्रार्थी/विपक्षीगण, सूचना पत्र नियम 148 पंचायतीराज नियम 1996, शपथ पत्र विपक्षी पट्टा धारक दिनांक 26.11.2007 एवं पट्टाशुल्क राशि रसीद संख्या 30-39 दिनांक 01.08.2007 तथा प्रकरण में प्रस्तुत विविध शिकायत पत्र दिनांक 01.05.2007, 04.05.2007, 05.08.2016, 14.07.2017 एवं प्रस्तुत जवाब शिकायत सक्षम स्तर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.09.2016, 25.07.2017 के साथ-साथ समस्त नकल आदेशिकाओं सहित प्रचलित विधियों के साथ गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रकरण मेरिट आधार पर अच्छा होने से मियाद बाधित नहीं मानते हुए राजस्व ग्राम नागदेडा ग्राम पंचायत बेडमा की आबादी में दर्ज भूमि




आराजी संख्या 668/1332 रकबा 0.50 है। जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश 403 दिनांक 21.12.2004 को आबादी में दी गई भूमि में से विपक्षीगण के आवेदन अनुसार उक्त भूमि पर विपक्षीगण का 15-20 वर्ष पुराना कब्जा होने के आधार पर प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.04.2007 के क्रम में कोरम आदेश दिनांक 06.06.2017 के अनुसार गठीत मौका निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2007 प्रारम्भ से लगायत अन्त तक निरीक्षण प्रारूप वर्तमान तक रिक्त है जिससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षण दल द्वारा मौके की युक्ति-युक्त जांच नहीं की गई है तथा आवंटन मिश्रणों में संलग्न आम सूचना नोटिस अन्तर्गत नियम 148 पर आदेश क्रमांक दिनांक का अभाव पाया गया है तथा 148(1) व (2) के अनुसार उक्त सूचना प्रकाशन नोटिस का चर्चाकन सदस्य स्थल पर किया जना अनिवार्य है किन्तु उक्त सूचना पत्र कहां चर्चा किया गए का सम्पूर्ण अभाव रहा है तथा पंचायत द्वारा नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेखों के पूर्व आवेदक के शपथ पत्र एवं शुल्क राशि पट्टा निष्पादन से पूर्व जमा योग्य रही थी किन्तु उक्त शपथ पत्र एवं शुल्क राशि पट्टा जारी होने के बाद प्राप्त की गई जो ग्राम पंचायत की अनियमितता का प्रतीक है। साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा जारी समस्त प्रकार के पट्टों अन्तर्गत एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक का पट्टा पति-पत्नी के लिए निशुल्क देय है किन्तु जारी पट्टा विलेख संख्या 20/2007 (साईज 3000 वर्गफीट) एवं 21/2007 (साईज 3000 वर्गफीट) एक ही परिवार के दो सदस्यों को प्रावधित क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट के मुकाबले 3000-3000 वर्गफीट के बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जारी किया जाना अनुचित है। इन सब के बावजूद विपक्षीगण के पक्ष में आवंटित आवासीय पट्टा विलेख की भूमि रकबा 6000 वर्गफीट का आवासीय प्रयोजन के विपरीत बिना किसी सक्षम स्वीकृती के व्यवसायिक ईट भट्टों (कजावो) के रूप में उपयोग में लाया जाना आवंटन नियमों के विरुद्ध है। इस बात की पुष्टि विविध शिकायत पत्रों के क्रम में प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 05.08.2016 या 01.09.2016 एवं 25.07.2017 के द्वारा हो जाता है कि पट्टाकृत भूमियों का उपयोग आवासीय प्रयोजन के विपरीत ईट भट्टों के संचालन में किया जाना प्रमाणित रिकार्ड है जिससे ग्राम आबादी क्षेत्र में वायु प्रदूषण तथा ईट भट्टों के अपशिष्ट से नाला जल प्रवाह बाधित होना भी प्रमाणित होता है ऐसी स्थिति में मौका एवं ग्राम वासियान तथा निगरानीकार के आक्षेप सिद्ध योग्य होने से विवादित पट्टों का राजहीत और शान्ति व्यवस्था कायम रखने की परिस्थिति में निरस्त योग्य साबित होते हैं।

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाती है और ग्राम पंचायत बेडमा द्वारा जारी विवादित आवासीय पट्टा क्रमांक 20/2007 एवं 21/2007 दिनांक 06.07.2007 बिना किसी हर्जे खर्चे के खारीज किये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।




(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़